ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)
(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)
302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)
E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

संदर्भ संख्या AIACE/CENTRAL/2025/044_H **दिनांक 9.7.2025**

सेवा में
सचिव, कोयला मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी और कार्यान्वित आदेशों और नीतियों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग

प्रिय महोदय,

कोल इंडिया लिमिटेड अपनी होल्डिंग कंपनी के रूप में, सभी सहायक कंपनियों में एक समान नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन, यह अफ़सोस की बात है कि CIL यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का सभी सहायक कंपनियों में पालन किया जाए।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सहायक कंपनियों में तैनात अधिकारियों के गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार के कारण कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आम जनता को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह का व्यवहार CIL की छवि धूमिल करता है। सहायक स्तर के कार्यालयों में बैठे अधिकारी कोल इंडिया लिमिटेड के केंद्रीकृत एक समान नियमों की अवहेलना करते हैं और अपने नियम बनाते हैं।

ज्ञात हो कि सीआईएल ने अपने कार्यालयों और सहायक कंपनियों में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सीपीआरएमएसई और सीपीआरएमएसएनई यानी अंशदायी सेवानिवृत्तोत्तर चिकित्सा योजना लागू की है। सीपीआरएमएसई को अपनाने और लागू करने की प्रारंभिक अधिसूचना 2012 में जारी की गई थी, जिसके तहत उपचार की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रावधान थे -

1) घरेलू उपचार की अर्धवार्षिक प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु फॉर्म B-1 बाद में इसे वापस ले लिया गया और लाभार्थियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर वार्षिक प्रतिपूर्ति शुरू की गई।

2) आउटडोर और इनडोर उपचार के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु बिल जमा करने हेतु फॉर्म B-2 और B-3 सरलता के लिए, वर्ष 2023 में, इन दोनों फॉर्मों को एक ही फॉर्म में मिला दिया गया और सीआईएल की वेबसाइट https://d3u7ubx0okog7j.cloudfront.net/documents/CLAIM_FORM_NEW-F.pdf पर इसकी सूचना दी गई है।

दिलचस्प बात यह है कि इस संयुक्त एकल फॉर्म में प्रतिपूर्ति का दावा सभी सहायक कंपनियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। सीसीएल जैसी कुछ सहायक कंपनियाँ पुराने और नए दोनों रूपों में दावे स्वीकार करती हैं। लेकिन, सीएमपीडीआईएल जैसी सहायक कंपनियाँ अड़ी हुई हैं और जानबूझकर नए रूप में दावों को अस्वीकार कर रही हैं। एक विशिष्ट दावे का अधिक विवरण सीएमपीडीआईएल द्वारा लाभार्थियों में से एक, स्वर्गीय एन. मोहन कुमार, ईआईएस संख्या 90098880 को जारी किए गए पत्र में दर्शाया गया है, जो लगभग 6 लाख रुपये के 10 अवैतनिक बिलों को पीछे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। (अनुलग्नक-I)

फिर भी, सीएमपीडीआई की सीएमएस-प्रभारी डॉ. शिल्पी ने, उनको ही ज्ञात कारणों से, मई 2025 के दूसरे सप्ताह में, बिलों को पुराने रूपों में जमा करने के लिए कहकर वापस कर दिया गया। (अनुलग्नक-I में दर्शाए गए प्रतिलिपि अनुसार)

हमें उपरोक्त घटना का विवरण देते हुए दुख हो रहा है क्योंकि सीआईएल से हमारी पिछली कई बार की गई प्रार्थनाएँ, जिनमें सहायक कंपनियों में एक समान नियम लागू करने की बात कही गई थी, अनसुनी कर दी गई हैं।

इन परिस्थितियों में, अनुरोध है कि सीआईएल को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ कि वह अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करे ताकि वे सीआईएल द्वारा बनाए गए केंद्रीकृत नियमों का उल्लंघन करने का साहस न कर सकें।

धन्यवाद,

(पी. के. सिंह राठौर)
प्रधान महासचिव

सीएमपीडीआई
मिनी रत्न
cmpdi
Mini Ratna
सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी / भारत सरकार का एक लोक उपक्रम)
गोन्डवाना प्लेस, कांके रोड, राँची - 834 008, झारखण्ड (भारत)
Central Mine Planning & Design Institute Limited
(A Subsidiary of Coal India Limited / Govt. of India Public Sector Undertaking)
Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 834 008, Jharkhand (INDIA)
CORPORATE IDENTITY NUMBER - U14292JH1975GOI001223

An ISO 9001: 2015 & ISO 37001: 2016 Certified Company

NO.– 95

दिनांक-03/06/2025
20/06/25

विभागाध्यक्ष (का एवं प)
सी. एम. पी. डी. आई. क्षे. सं. - 4 नागपूर

विषय - श्री एन मोहन कुमार EIS NO- 90098880 के बिल के संबंध मे

महोदय

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे यह बिल आप के पास पुनः निम्नलिखित संशोधन के लिय भेजा जा रहा है।

क सं	नाम	पदनाम	EIS	बिल नं	कुल राशि
1	**श्री एन मोहन कुमार**	**व प्रबंधक (सचि)**	**90098880**	**E-321**	**1,14,627.00**
2				**E-322**	**3,16,628.00**
3				**E-323**	**2961.00**
4				**E324**	**6008.00**
5				**E-325**	**2843.00**
6				**E-326**	**40,913.00**
7				**E-327**	**30,000.00**
8				**E-328**	**5332.54.00**
9				**E-329**	**23,808.93**
10				**E-436**	**108134.00**

पत्र स E-1704748/2324 दिनांक - 16/04/2025 एवं बिल न-EL488036167IN दिनांक-16/05/2025 द्वारा जमा किया गया CPRMSE बिल मे B1 & B2 फॉर्म सभी दावों के साथ संलग्न करे।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

भवदीय
03/6/25
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पी.आर.एम.बी /चिकित्सा विभाग

फोन नम्बर/Phone No.
ई-मेल/E-mail:
वेब साईट/Website: